



2026:AHC:124954

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19205 सन् 2026

रणजीत

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता : दीपांकर शुक्ला, मुकेश कुमार पाण्डेय

विपक्षी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री धीरज कुमार वर्मा, जो श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का ब्रीफ धारित कर रहे हैं, तथा राज्य की ओर से श्री बी.पी. सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना अछल्दा, जनपद औरैया में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 24 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ 137(2), 87, 64(1) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4(1) के अन्तर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रारम्भ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनाकर्ता पर सूचना की तामील कर दी गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में आवेदक को मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था तथा आवेदक का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 180 एवं 183 के अन्तर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथनों में प्रकाश में आया है, तथापि पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है और उसने कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा उसने आवेदक के साथ विवाह कर लिया था और वह उसके साथ पति-पत्नी के रूप में रह रही थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि रेडियोलॉजिकल प्रतिवेदन के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष 07 माह है। आवेदक दिनांक 12.3.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

6. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, यह कहा गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया, तथापि पीड़िता बरामद कर ली गई तथा उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 180 एवं 183 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथनों में कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा उसने आवेदक के साथ विवाह कर लिया था और वह उसके साथ पति-पत्नी के रूप में रह रही थी। रेडियोलॉजिकल प्रतिवेदन के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष 07 माह है।

7. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अत्यधिक संख्या एवं कारागारों में अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जमानत प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3038 में प्रतिवेदित है, के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित अधिदेश तथा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिवेदित है, के वाद में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. तदनुसार, उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित आवेदक **रणजीत** को सम्बन्धित न्यायालय के समाधान के अनुसार समान धनराशि के दो प्रतिभुओं सहित एक व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक किसी भी स्थगन की प्रार्थना किए बिना विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

11. बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा प्रतिभुओं के मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से सम्बन्धित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करे, ताकि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा से आपराधिक रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश, जो (2024) 10 उच्चतम न्यायालय वाद 685 में प्रतिवेदित है, का अनुपालन किया जा सके।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक 3 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।